



बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना।  
वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें।

पत्रांक- 4/STA-P3-232/2012(पार्ट)- परि0- 6664 दिनांक- 27.12.17

निदेशानुसार सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार एवं झारखंड के विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट की स्वीकृति हेतु दिनांक 13.12.2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे राज्य परिवहन प्राधिकार की आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में संलग्न सूची के क्रम सं०- 1 से 5 तक में प्राप्त आपत्ति की सुनवाई हेतु तिथि दिनांक-27.12.2017 निर्धारित की गयी थी।

उक्त तिथि को राज्य परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना द्वारा आपत्ति की सुनवाई की गयी, जिसमें कुछ मामलों पर सुनवाई करते हुए स्थायी परमिट की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी। जबकि कुछ मामलों में आवेदक/आपत्तिकर्ता की अनुपस्थिति के कारण ऐसे मामलों की सुनवाई पुनः दिनांक-30.12.2017 को किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव दिनांक-30.12.2017 को पुनः निम्न मामलों की सुनवाई राज्य परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के कार्यालय वेश्म में पूर्वाह्न 11:00 बजे से की जाएगी :-

क्रम सं०	सुनवाई की तिथि	मद संख्या
1.	30.12.2017	(क-20)1 एवं 2 (क-22)2,5,6,8 एवं 9 (क-23)1 (ग-1) (ग-2)1 एवं 2

उप सचिव  
परिवहन विभाग, बिहार पटना